संख्या-65/2024/2207/छिहत्तर-1-2024-1794508

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 12 सितम्बर, 2024

विषयः-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सतही स्रोत आधारित विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के लिए इन्टेकवेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, क्लीयर वाटर रिजरवायर, शिरोपरि जलाशय हेतु एवं भू-जल आधारित विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु टयूबवेल एवं शिरोपरि जलाशय, सोलर संयंत्र तथा अन्य अवयवों की स्थापना हेतु सम्बन्धित ग्रामों में भूमि की आवश्यकता होती है। अतः जनहित में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं हेतु भूमि लिए जाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :-

(1) जनपद-फिरोजाबाद की 02 पाइप पेयजल योजनाओं (सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना-पैकेज-1 एवं पैकेज-2) के लिए वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं क्लीयर वाटर रिजरवायर के निर्माण हेतु जनपद-एटा के परगना-मारहरा, ग्राम भडेरा के अंतर्गत स्थित भूमि (गाटा संख्या-264, रकबा 7.751 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या-261/3.372 हेक्टेयर, 268/1.707 हेक्टेयर व 250 / 7.207 हेक्टेयर अर्थात कुल रकबा 20.037 हेक्टेयर) भूमि रजिस्ट्रीशुल्क रहित नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

Agrawal go

(2) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं हेतु पूर्व में ली जा चुकी भूमियों पर कार्योत्तर स्वीकृति भी एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(3) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भविष्य में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं हेतु ली जाने वाली अन्य आवश्यक भूमियों को नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को रजिस्ट्रीशुल्क रहित नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- इस सम्बन्ध में निम्नलिखित का संज्ञान लिया जायेगा :-

(1) भूमि के स्वामित्व के बिन्दु के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित भूमि जिस प्रयोजन हेतु नि:शुल्क हस्तांतरित की जानी है उस हेतु सक्षम संस्था द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं हो ।

(2) प्रश्नगत भूमि निर्विवाद हो तथा उस पर कोई धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(3) यदि भविष्य में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है अथवा तीन वर्षो तक उक्त नि:शुल्क हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो प्रश्नगत भूमि को उसके मूल विभाग को वापस किया जायेगा ।

(4) इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अधिनियमों / वित्तीय नियम संग्रह / शासनादेश आदि की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि भविष्य में धृत भूमि की अधिकारिता / अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा-3 (क-क) एवं (ख-ख) के परन्तुक-1 के अधीन नमामि गंगें तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पक्ष में स्टाम्प देयता से मुक्ति प्राप्त होगी, किन्तु उक्त छूट हेतु विलेखों के निष्पादन में शासनादेश संख्या-8/ 2024/ 1474/ 94-स्टा०नि०-2-2016/700(89) /2023 दिनांक 10 अप्रैल, 2024 के प्रस्तर-4 (iv) में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

5- अत: अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 12-09-2024 10:58:07

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-65/2024/2207/छिहत्तर-1-2024-1794508 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति (सम्बन्धित जनपद)
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-4/3/13/2024-सी0एक्स(1), दिनांक 09 सितम्बर, 2024 के क्रम में ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 12-09-2024 13:11:04

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।

Agrawal go